



प्रेस - नोट

जनपद- अम्बेडकरनगर

थाना- हंसवर

दिनांक 01.03.2026

जनपद अम्बेडकरनगर के थाना हंसवर पुलिस की बड़ी कार्यवाही — अवैध असलहों के साथ तीन शांति अभियुक्त गिरफ्तार, स्कार्पियो वाहन, कारतूस, चाकू, मोबाइल फोन व नकदी बरामद ।

जनपद अम्बेडकरनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) हेरेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टाण्डा शुभम कुमार के मार्गदर्शन में तथा थानाध्यक्ष हंसवर अभिनेष कुमार के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हंसवर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 28.02.2026 को उ०नि० मनोज कुमार सैनी मय हमराही फोर्स द्वारा 06 नम्बर पुलिसिया पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरसम्हार से बरही एदिलपुर की ओर जा रही एक काली स्कार्पियो वाहन में तीन व्यक्ति अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं तथा किसी आपराधिक घटना की फिराक में हैं।

सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा पाठक पुरवा बहद ग्राम हरसम्हार में घेराबंदी कर स्कार्पियो वाहन संख्या UP 14 GF 2115 को रोककर उसमें सवार तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान निम्न बरामदगी हुई—

बरामदगी विवरण

02 अदद नाजायज देशी पिस्टल .32 बोर

03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

01 अदद नाजायज चाकू

04 अदद मोबाइल फोन

01 अदद पेटिएम बैंक मशीन

6,390/- रुपये नगद

01 अदद स्कार्पियो वाहन संख्या UP 14 GF 2115

गिरफ्तार अभियुक्त-

01-आकाश मिश्रा पुत्र शारदानन्द मिश्रा नि० तरौली मुबारकपुर थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर, हाल पता बी-510 डबल स्टोरी ब्रिज विहार थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास - मु०अ०सं० 37/22 धारा 147/149/188/269/336/341/353/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद

02-अमन मिश्रा पुत्र शारदानन्द मिश्रा नि० तरौली मुबारकपुर थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर, हाल पता बी-510 डबल स्टोरी ब्रिज विहार थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास -मु०अ०सं० 159/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद

03- अमर पंडित पुत्र मुरलीधर झा नि० ए-92 रामपुरी सूर्यनगर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास- मु०अ०सं० 179/25 धारा 115(2)117(2)351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बरामद असलहे कृष मिश्रा पुत्र स्व० करुण मिश्रा नि० विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

बरामदगी के आधार पर थाना हंसवर पर मु०अ०सं० 26/2026 धारा -3/25, 4/25 शस्त्र अधिनियम व 3(v) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं। वाहन को मुकदमा उपरोक्त व धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

01-थानाध्यक्ष श्री अभिनेष कुमार 02- 0नि० श्री मनोज कुमार सैनी 03- उ०नि० श्री विकास गौतम 04- हे०का० सर्वेश कुमार

05- का० अभयानन्द यादव 06- का० राजा यादव 07- का० योगेश कुमार